


18/03/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु०।
कार्यालय समय में रुक-रुक कर बार
बार आवाजें लगवाई गई। न्यायालय
समय 10:00, 11:00, 12:00, 1:00, 2:00,
3:00, 4:00, 5:00 पर आवाजें लगवाने
के बावजूद कोई वकील वादी / वादी
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी/
वादी का वाद खारिज निषेधाज्ञा की
अदम परवी अदम हाजिरी में खारिज
किया जा रहा है। पत्रावली दर्ज नम्बर
से क्रम होकर अंशतः शमार होकर
वास्तविक हस्तगत हो। निर्णय आज
दिनांक 18/03/24 को सुनने न्यायालय
में सुनाया गया।


सहायक जज
जयपुर हाउस एरिया

